

3632
10/10/13

web

No.I.12012/2/2012-Org 1064
Directorate General, ITBP
MHA/Government of India
Block-II, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003.

Dated: 07/October, 2013.

Memorandum

Subject: Two corrigendum of Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Sub-Inspector (Stenographer) and Head Constable (Ministerial), Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2013.

A copy of two corrigendums of Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Sub-Inspector (Stenographer) and Head Constable (Ministerial), Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2013 after having been published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 618(E) dated 10.09.2013 and GSR 619 (E) dated 10.09.2013, are sent herewith for information and necessary action at your end please.

2. All IsG (Frontier HQ) are requested to kindly circulate a copy of above notification to all Units, Sector HQs and Training Centres under their ops/administrative control.

Encl: As above.


(A.S. Rawat)
Dy Inspector General (Org)


To

1. All Inspectors General (Frontier HQ)/ IG (Training), ITB Police.
2. Director, ITBP Academy, Mussoorie.
3. DIG, CIJW/NITSRDR/NTCD & A, ITB Police.
4. Commandants Base Hospital Delhi/ Composite Hospital Chandigarh and Dehradun.
5. Sh. Jagmal Singh, Supdt. (Leg-I), OL Wing, Legislative Department, Ministry of Law, Govt. of India, 7th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi with a copy of above notification for favour of information please.

Internal:

1. Director (Medical), Dte Genl, ITB Police.
2. Dy. Inspector General (Estt), Dte. Gen. ITB Police.
3. Dy. Inspector General (Training), Dte Genl, ITB Police.
4. Chief Administrative Officer, CRO, ITB Police.
5. Dy. Commandant (IT), Dte Genl. with the request to upload above notification in MHA/ITBP website.

for record PL
AL
AC/PL
M




सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 2013/भाद्र 20, 1935

No. 459]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2013/BHADRA 20, 1935

गृह मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 618(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 14 फरवरी, 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 81(अ), तारीख 14 फरवरी, 2013 के पृष्ठ 13 की पंक्ति 11 पर "अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट" के स्थान पर "अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट" पढ़ें।

[फा. सं. I-12012/2/2012-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th September, 2013

G.S.R. 618(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, Number G.S.R. 81(E), dated the 14th February, 2013, published in Part II, Section 3, Sub Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary dated the 14th February, 2013 at page 13, in line 11 for "30 w.p.m. in English", read "35 w.p.m. in English".

[F. No. I-12012/2/2012-Org]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 619(अ)—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 14 फरवरी, 2013 में प्रकाशित, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 81(अ) तारीख 14 फरवरी, 2013 के हिन्दी पाठ में :-

पद का नाम	के स्थान पर	पढ़ें
सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक)	कॉलम 11:- सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा (i) ऐसे कांस्टेबल (जी.डी.), हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय), कांस्टेबल (ट्रेड-मैन) जिनकी कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल श्रेणी में कुल पाँच वर्ष की नियमित सेवा है और जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं, के सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा; और (ii) चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 में हो; (iii) अच्छी सेवा का रिकार्ड हो।	कॉलम 11:- सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा (i) ऐसे कांस्टेबल (जी.डी.), हैड कांस्टेबल (जी.डी.), हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय), कांस्टेबल (ट्रेड-मैन) जिनकी कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल श्रेणी में या दोनों में कुल पाँच वर्ष की नियमित सेवा है और जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं, के सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा; और (ii) चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 में हो; (iii) अच्छी सेवा का रिकार्ड हो।
हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय)	कॉलम-7 (ii) कम्प्यूटर कौशल परीक्षण मानक:-कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति, या कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति। (कम्प्यूटर पर प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की-डिप्रेसन के औसत से 10500 प्रति घंटा अंग्रेजी में/9000 की-डिप्रेसन प्रति घंटा हिंदी के अनुरूप अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट)	कॉलम-7 (ii) कम्प्यूटर कौशल परीक्षण मानक:- कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति, या कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति। (कम्प्यूटर पर प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की-डिप्रेसन के औसत से 10500 प्रति घंटा अंग्रेजी में/9000 की-डिप्रेसन प्रति घंटा हिंदी के अनुरूप अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट)
	कॉलम 11:- सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा (i) ऐसे कांस्टेबल (जी.डी.), हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय), कांस्टेबल (ट्रेड-मैन) जिनकी कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल श्रेणी में कुल पाँच वर्ष की नियमित सेवा है और जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं, के सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा; और (ii) चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 में हो; (iii) अच्छी सेवा का रिकार्ड हो।	कॉलम 11:- सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा (i) ऐसे कांस्टेबल (जी.डी.), हैड कांस्टेबल (जी.डी.), कांस्टेबल (ट्रेड-मैन) जिनकी कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल श्रेणी या दोनों में कुल पाँच वर्ष की नियमित सेवा है और जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं, के सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा; और (ii) चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 में हो; (iii) अच्छी सेवा का रिकार्ड हो।

[फा. सं I-12012/2/2012-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप सचिव